उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 16

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		40.40	25998.40	26038.80	29.90	31996.87	32026.77	75.80	32998.75	33074.55
पूंजी		*44.60*	*1.60*	*46.20*	*30.10*	*3.13*	*33.23*	*19.20*	*1.25*	*20.45*
जोड़		**85.00**	**26000.00**	**26085.00**	**60.00**	**32000.00**	**32060.00**	**95.00**	**33000.00**	**33095.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	23.63	23.63	...	19.53	19.53	...	21.60	21.60
खाद्य, भंडारण और भांडागारण										
2. खाद्य सब्सिडी	2408	...	25696.20	25696.20	...	31545.59	31545.59	...	32666.59	32666.59
3. चीनी के बफर स्टाक के अनुरक्षण पर सब्सिडी	2408	...	35.00	35.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00
4. चीनी के निर्यात लदान हेतु चीनी मिलों को आंतरिक परिवहन एवं भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति	2408	...	30.00	30.00	...	150.00	150.00	...	300.00	300.00
5. सहकारी चीनी मिलों को नाबार्ड के जरिए ब्याज सहायता	2408	...	...	...	...	158.86	158.86	...	36.42	36.42
6. चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य व्यय	2408	...	11.20	11.20	...	9.00	9.00	...	11.00	11.00
7. चीनी विकास निधि-अन्तरण को	2408	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00
से	2408	...	-76.20	-76.20	...	-509.00	-509.00	...	-661.00	-661.00
	6860	...	-330.00	-330.00	...	-330.00	-330.00	...	-355.00	-355.00
	जोड़	...	*-156.20*	*-156.20*	...	*-589.00*	*-589.00*	...	*-766.00*	*-766.00*
8. खाद्य, भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम	2408	4.00	28.54	32.54	2.95	22.32	25.27	4.30	24.11	28.41
	4408	1.20	...	1.20	1.10	...	1.10	1.20	...	1.20
	जोड़	*5.20*	*28.54*	*33.74*	*4.05*	*22.32*	*26.37*	*5.50*	*24.11*	*29.61*
जोड़-खाद्य, भंडारण और भांडागारण		**5.20**	**25644.74**	**25649.94**	**4.05**	**31646.77**	**31650.82**	**5.50**	**32622.12**	**32627.62**
नागरिक आपूर्ति										
9. ग्रामीण अनाज बैंक	3456	15.21	...	15.21	15.71	...	15.71	15.30	...	15.30
10. खाद्यान्न प्रबंधन का विकास, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	3456	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	5.50	...	5.50
	3601	17.15	...	17.15	7.15	...	7.15	40.40	...	40.40
	3602	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	2.30	...	2.30
	जोड़	*18.00*	...	*18.00*	*8.00*	...	*8.00*	*48.20*	...	*48.20*
11. नागरिक आपूर्ति की अन्य स्कीमें	3456	...	...	...	...	0.54	0.54	...	...	...
12. खाद्य तेलों के व्यापार कार्य में एसटीसी के नुकसान की प्रतिपूर्ति	3456	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-नागरिक आपूर्ति		**33.21**	**0.01**	**33.22**	**23.71**	**0.55**	**24.26**	**63.50**	**0.01**	**63.51**
उपभोक्ता उद्योग										
13. सरकारी उद्यमों में निवेश	4408	9.65	...	9.65	1.53	...	1.53	10.00	...	10.00
14. खाद्यान्न प्रबन्धन में विकास अनुवीक्षण और अनुसंधान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	4408	24.50	...	24.50	24.50	...	24.50	3.00	...	3.00
15. उपभोक्ता उद्योग	2852	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
16. चीनी कारखानों का सुधार/आधुनिकीकरण	6860	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	150.00	150.00
17. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
18. बगैस आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
19. एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ऋण	6860	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		**34.15**	**330.02**	**364.17**	**26.03**	**330.02**	**356.05**	**13.00**	**355.02**	**368.02**
20. हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आयल कारपोरेशन को ऋण	6860	...	1.60	1.60	...	3.13	3.13	...	1.25	1.25
21. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	3.19	...	3.19	3.24	...	3.24	8.00	...	8.00
	4552	9.25	...	9.25	2.97	...	2.97	5.00	...	5.00
	जोड़	*12.44*	...	*12.44*	*6.21*	...	*6.21*	*13.00*	...	*13.00*
कुल जोड़		***85.00***	***26000.00***	***26085.00***	***60.00***	***32000.00***	***32060.00***	***95.00***	***33000.00***	***33095.00***

(करोड़ रुपए)

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट 2007-2008 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	संशोधित 2007-2008 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट 2008-2009 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
13.01 भारतीय खाद्य निगम	12408	9.65	...	9.65	1.53	...	1.53	10.00	...	10.00
13.02 केन्द्रीय भांडागारण निगम	12408	...	166.71	166.71	...	82.49	82.49	...	49.64	49.64
जोड़		**9.65**	**166.71**	**176.36**	**1.53**	**82.49**	**84.02**	**10.00**	**49.64**	**59.64**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. खाद्य, भंडारण और भांडागारण	12408	39.35	166.71	206.06	30.08	82.49	112.57	18.50	49.64	68.14
2. नागरिक आपूर्ति	13456	33.21	...	33.21	23.71	...	23.71	63.50	...	63.50
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	12.44	...	12.44	6.21	...	6.21	13.00	...	13.00
जोड़		**85.00**	**166.71**	**251.71**	**60.00**	**82.49**	**142.49**	**95.00**	**49.64**	**144.64**

1. यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, (ii) सुरक्षित भंडारों को रखने की लागत और (iii) लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण। आर्थिक लागत में खरीद मूल्य और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधी आनुषंगिक व्यय आते हैं, जिसमें लाने-ले जाने, भंडारण, रख-रखाव, ब्याज प्रभार आदि शामिल हैं। कुछ राज्य सरकारों को भी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, जो खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं।

3. इसके अंतर्गत चीनी के सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए चीनी के कारखानों के बकाया दावों का निपटान करने के लिए प्रावधान है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है।

4. यह प्रावधान चीनी कारखानों को निर्यात शिपमेंट विपणन एवं चढ़ाई-उतराई तथा अन्य अनुमेय दावों के भुगतान पर आंतरिक परिवहन और भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया है।

5. यह प्रावधान सहकारी और शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंको को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिए ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है।

6. यह व्यय एनसीडीसी और आईएफसीआई को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इसमें चीनी मिलों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान भी शामिल है।

7. चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए 1 जून, 1982 से 5 रुपए प्रति क्विंटल और 1 नवम्बर, 1982 से 14 रुपए प्रति क्विंटल चीनी उत्पादन उपकर लगाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, चीनी उद्योग के विकास के लिए प्रयोग में लाने के लिए चीनी विकास निधि को, संग्रह की लागत के अनुसार कम करके संग्रहित उपकर के बराबर की राशि को अंतरित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए ऋण, अनुदान देते हुए तथा चीनी उद्योग के विकास से संबंधित अन्य व्यय की व्यवस्था है। भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत चीनी विकास निधि को भारत की समेकित निधि से उपर्युक्त विधि से आकलित राशि अंतरित करने और निधि से आहरण की व्यवस्था है।

8. इसमें खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय, प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन, निर्देश और प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद/अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद) और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

9. यह प्रावधान ग्रामीण अनाज बैंक से संबंधित योजना के लिए है।

10. यह प्रावधान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण,लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) हेतु रखे गए खाद्यान्नों के क्षरण/खाली किए जाने पर नियंत्रण, टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाना,के लिए है।

12. यह प्रावधान राज्य व्यापार निगम को सरकारी खाते में आयातित खाद्य तेल के संबंध में इसके व्यापारिक कार्यकलाप में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए है।

13. यह प्रावधान मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्ययों को दर्शाता है, जो प्रगति पर है।

14. यह प्रावधान खाद्यान्न प्रबंधन हेतु एकीकृत सूचना प्रणाली के प्रचालन से संबंधित है।

15. इसमें अमृतसर तेल कारखाना अधिनियम की धारा 14 के तहत भुगतान आयुक्त को अवशिष्ट भुगतान, यदि कोई हो, करने का प्रावधान शामिल है।

16. यह व्यय अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की किसी भी फैक्टरी के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने के लिए किया जाता है जो चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है।

17. यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है।

18. यह प्रावधान बगैस आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण देने हेतु किया गया है।

19. यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण देने के लिए किया गया है।

20. यह प्रावधान हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड के संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए है।

21. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।

http://indiabudget.nic.in